निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 06/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. जिला परिषद जयपुर जरिये प्रभारी अधिकारी भगवान सहाय मीणा पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. गोठी देवी पत्नी स्व॰ श्री भगवान सहाय निवासी ग्राम प्रतापपुरा, ग्राम पंचायत मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली।
3. ग्राम पंचायत मनोहरपुर जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मनोहरपुर, पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण ब उनवानी जिला परिषद जयपुर बनाम ग्राम पंचायत मनोहरपुर व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री खेमचन्द शर्मा प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय दिनांक 07.12.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी ब उनवानी जिला परिषद जयपुर बनाम ग्राम पंचायत मनोहरपुर व अन्य न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने सर्व प्रथम माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय के समक्ष एक निगरानी संख्या 2/2019 प्रस्तुत की थी, जिसे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के यहां स्थानान्तरण करवा लिया है। प्रार्थी का कार्यालय जयपुर स्थित होने के कारण पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेशानुसार उक्त निगरानी का क्षेत्राधिकार अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के यहां प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया था। उक्त उनवानी प्रकरण में अप्रार्थीगण गैर कानूनी तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सक्षम न्यायालय द्वारा मिन प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही सुनवाई की जा रही है। इस कारण न्याय की उम्मीद किया जाना वास्तविकता से परे है। अतः उक्त निगरानी का हस्तान्तरण/ट्रान्सफर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष किया

जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है। निगरानी वर्तमान में अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन होने के कारण प्रार्थी को उक्त निगरानी मे अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड रहा है। इस कारण उक्त निगरानी का हस्तान्तरण/ ट्रान्सफर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष किया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन निगरानी में विवादित भूमि ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा में स्थित है जो न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के सुनवाई क्षेत्राधिकार में आती है। इसके अतिरिक्त गैर निगरानीकार भी ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा के ही निवासी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी की सुनवाई क्षेत्राधिकार अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली का होने से आदेश दिनांक 14.11.2019 से अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय से अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली को स्थानान्तरित किया गया है। अब प्रार्थी द्वारा पुनः इसी प्रकरण को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय मे स्थानान्तरित किये जाने हेतु यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे स्वीकार किये जाने का कोई ठोस कारण नजर नही आता है।

5. उभय पक्ष अधिवक्ता की दलीलें सुनने एवं सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

6. अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निरतारण करना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक **07.12.2020** को सरे इजलास सुनाया गया ।

7/12/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर